फर्द अहकाम

भंवरलाल बनाम श्योराम

न्यायालय

संख्या 84/2005

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

...अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
...त्र : 91/2016
...दिनांक : 27.02.2025

उनवान

...पुत्र स्व० श्री रघुनाथ सैनी निवासी रघुनाथपुरी प्रथम बी प्रतापनगर, टोंक रोड,
...पुत्र स्व० श्री रघुनाथ सैनी उम्र 85 वर्ष निवारी रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोडा तहसील
...जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

...पुत्र स्व० किशन माली निवासी जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर,
...जयपुर
...पुत्र स्व० मुरली (मृतक दौराने वाद)
...हरिनारायण सैनी पुत्र स्व० छीतर निवासी जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील
...नेर, जिला जयपुर
...पुत्र स्व० मुरली निवासी जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला
...पुर
...स्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय बनीपार्क, जयपुर
...सीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी ...नियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आज प्रार्थीगण ने ...र्थीगण के विरूद्ध उक्त शिर्षकीय वाद पत्र बाबत् घोषणा, तकासमा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी ...षेधाज्ञा को ठोस व सुदृड तथ्यो के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है ...समें प्रार्थीगण को सफलता प्राप्ति की पुर्ण आशा है। प्रार्थीगण के पडदादा पडदादा जीवण के ...डके पैदा हुए जिसमें जैलो लाओलाद कुवारा फौत हो गया था तथा जीवण के तीन लडके ...क्मा, रामरतन, किशन रहे । प्रार्थीगण के पडदादा जीवण अपने परिवार सहित अपने जीवनकाल ...ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोडतावाला तहसील सांगानेर जिला जयपर में निवास करते आ रहे थे ...था अपने कब्जेशुदा आराजीयात का शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करते के आ रहे थे । प्रार्थीगण ...पडदादा जीवण के स्वर्गवास के पश्चात उनके तीनों पुत्र हुक्मा, रामरतन, किशन उनके द्वारा ...डी गई भुमि पर काबिज काश्त रहे तथा आराजीयात का उपयोग उपभोग अपने जीवनकाल में ...न द्वारा छोड़ी गई का उपयोग उपभोग करते थे । पूर्व में आराजीयात जागीरदारों के कब्जे ...चली आ रही थी तथा जागीरदारों की जागीर रिजम्शन होकर राजस्थान जागीर उन्मूलन ...नियम में यह व्यवस्था की गई थी कि जो काश्तकार जिस भुमि का उपयोग उपभोग कर रहा ...काश्त कर रहा है वह आराजीयात उसी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जावेगी तथा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उनका नाम राजस्व रिकार्ड म दर्ज कर खोतेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे। इसी क्रम में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला का भू अभिलेख तैयार करते समय प्रार्थीगण के पडदादा के तीनों पुत्रो हुक्मा, रामरतन व किशन का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए खातेदारी उनके नाम सम्वत १६६४ से २००३ के चकबन्दी रजिस्टर में दर्ज किये तथा उनका मौके पर काबिज काश्त होना अभिकथित किया गया। इसी प्रकार सम्वत १६८१ के राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थीगण के दादा रामरतन का नाम कब्जेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण के पडदादा व दादा द्वारा छोडी गई आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इसी कारण प्रार्थीगण के दादा रामरतन का नाम भु–अभिलेख में कब्जे काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया था । प्रार्थीगण के पिता रुघनाथ का काफी समय पूर्व सन १६८० मे ही स्वर्गवास हो गया था तथा उनके पश्चात उनके हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज काश्त के आ रहे है। प्राथीगण के ताऊजी मुरली व चाचा श्योराम जी आराणीयात के सम्बन्ध में तहसील व अन्य सरकारी महकमात में आया जाया करते थे तथा उनके पास ही समस्त कागजात आराजीयात के रहते थे। प्रार्थीगण के ताऊजी मुरली का स्वर्गवास दिनांक २.२.२००५ को होने के बाद प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चजी आ रही है आराजीयात का तकासमा कराने व उसके अनूसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु कहने पर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 आश्वासन देकर टालते रहे तथा दिनांक 10.06.2004 को विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण को कोई भूमि नही तथा ना ही उसका कोई हक व हिस्सा है तथा तकासमा कराने से साफ मना कर दिया। इस पर प्रार्थीगण को बडा आश्चर्य हुआ। विपक्षी संख्या १ ता ३ द्वारा कोई भूमि प्रार्थीगण की स्थित न होने तथा तकासमा करने से इन्कार कर देने पर प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की बाबत जानकारी करने पर प्रार्थीगण को पता चला कि विपक्षी संख्या १ ने व विपक्षी संख्या २ व ३ के स्वर्गीय पिता मुरली ने आपस मे साजिश करके बदनियतीपूर्वक प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की आराजीयात से वंचित करने की नियत से भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बरान के नये नम्बर कायम करते समय राजस्व विभाग के कमवारियों से साजिश करते वाके ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला तहसील सांगानेर जिला जयपर स्थित स्वर्गीय मुरली व श्योराम के अलग अलग प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अपना अपना नाम दर्ज करवाते हुवे नामान्तरकरण खुलवा लिया

. भू–प्रबन्ध विभाग के पुराने रिकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा रामरतन का नाम काश्तकार काबिज के रूप में दर्ज चला आने से यह स्पष्ट है कि मद नम्बर ७ प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा चला आ रहा है। तथा प्रार्थीगण के दादा रामरतन अपने दोनो भाईयों हुक्मा व किशन के साथ काबिज कारत होने के कारण प्रत्येक का १/३ हिस्सा मद नम्बर ७ मे वर्णित आराजीयात मे है तथा रामरतन के १/३ हिस्से की भूमि उनकी मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र रुधनाथ को प्राप्त हुई तथा रूधनाथ के मरने के बाद प्रार्थीगण को प्रत्येक को १/६ हिस्सा उक्त आराजीयात में कानुनन प्राप्त है। लेकिन विपक्षी नम्बर १ व विपक्षी नम्बर २व ३ के पिता स्वर्गीय मुरली ने आपस में साजिश रचकर भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर साजिशन प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज न कराकर बदनियती से अपने

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नाम से नामान्तरकरण खुलवा लिया। जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराज्यात पर अपने पूर्वजो
समय से कब्जा चला आने के कारण प्रार्थीगण को समस्त खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त है
प्रार्थीगण समय समय पर अपने हिस्से की न आराजीयात की सार सम्भाल करते रहे है। प्रार्थीगण
पर्व राजस्व रिकार्ड मे रामरतन के काबिज काश्त होने व उसके नाम राजस्व रिकार्ड में
आराजीयात दर्ज होने के कारण व प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चले आने
कारण प्रार्थीगण 9 अधिकारी है कि वह मान्य न्यायालय के जरिये इस आशय की घोषणा
करवावे कि मद नम्बर ७ प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का प्रत्येक का ६/६
हिस्सा है तथा प्रत्येक प्रार्थीगण का १/६ हिस्से की वावत समस्त खातेदारी हक व अधिकार
प्राप्त है तथा इस बावत वह राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने व नामान्तरकरण खुलवाने
के अधिकारी है तथा इस हेतु इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के
मद नम्बर ७ मे वणित आराजीयात का अपने हिस्से अनुसार तकासमा कराकर अलग अलग
करवाना चाहते है ताकि उसके आधार पर प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दूरूस्ती करवाकर
नामान्तरकरण अपने नाम से खुलवाा सकें । मद नम्बर ७ प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात
राजस्व रिकार्ड में विपक्षी नम्बर १ व विपक्षी संख्या २ व ३ के पिता के नाम से दर्ज जिसका
फायदा उठाकर विपदीगण उक्त आराजीयात को कभी खुर्द बूर्द कर प्रार्थीगण को उनके हक व
अधिकार व आराजीयात से वंचित कर सकते है। जिसका कि विपक्षीगण नम्बर १ ता ३ को कोई
अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षी नम्बर १ ता ३ लोगों को लाकर जमीन खुर्द बूर्द करने हेतु दिखा
भी रहे है। जिसका कि विपक्षीगण संख्या १ ता ३ को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।
प्रार्थीगण विपक्षी नम्बर १ ता ३ की उक्त बैजा कार्यवाही को रोक्ने मे सर्वथा असमर्थ है। इस
कारण प्रार्थीगण अधिकारी है कि वह विपक्षीगण संख्या १ ता ३ को उक्त बेजा कार्यवाही को जरिये
अदालत उन्हें अस्थायी निणेधाज्ञा से पाबन्द करवाकर रूकता देवे कि विपक्षी नम्बर १ ता ३ प्रार्थना
पत्र के पद नम्बर ७ मे वर्णित आराजीयात व. उसके किसी भी भू–भाग को अपनी बताकर किसी
को रहन, बय, बख्शीश नहीं करें, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज किसी के हक में तहरीर व
तकमील. नहीं करें, राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें, अपने हिस्से व कब्जे
की आराजीयात व उसके किसी भी भू–भाग का कब्जा किसी को किसी मी रूप में अन्तरित नहीं
करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे
और ना ही ऐसा अपने परिवारजन, एजेन्ट सवैन्ट आदी के माध्यम से करावें। विपक्षी नम्बर ५ की
पाबन्द किया जायें कि वह राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, किसी के नाम
से नामान्तरकरण नहीं खोले, किसी अन्य के नाम से उक्त आराजीयात ट्रान्सफार नहीं करें और
ना ही ऐसा अपने अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी आदि से करावे व राजस्व रिकार्ड की स्थिति
यथावत रहे। जिस हेतु प्रार्थन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। पुराने राजस्व रिकार्ड व उसमे
प्रार्थीगण के दादा का नाम कब्जेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज होने व मद नम्बर ७ प्रार्थना पत्र
में वर्णित आराजीयात पर, प्रार्थी का अपने पडदादा के समय से कब्जा क़ाश्त चला आने के कारण
प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में कुल १/३ हिस्सा बखुबी साबित है। लेकिन विपक्षीगण राजस्व
रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विपक्षी नं० 1 व विपक्षी नं० 2 व 3 के पिता का नाम दर्ज होने के कारण नामान्तरकरण नाम बताकर उसकी आड़ में कभी भी उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर सकते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः दौराने दावा विपक्षीगण को पाबन्द कर उनकी ऐसा ली को रोके जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। दौराने विपक्षीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी नम्बर 1 ता 3 आराजीयात को अपनी खुर्द बुर्द कर देंगे तथा प्रार्थीगण को उसके उपयोग उपभोग व अधिकारों से वंचित कर ऐसी हालत में प्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति धन के रूप में नहीं हो सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षीगण को पाबन्द करने हेतु प्रार्थीगण के में बखूबी साबित है।

मूलतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि इस दौरान दावा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह मद संख्या 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात व उसके किसी भी भाग को अपना बताकर किसी को रहन, बय, बख्शीश नहीं करें इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज किसी के भी हक में तहरीर व तकमील नहीं करें, पंजीकृत नहीं करावें, उक्त आराजीयात व उसका कोई भी भाग अपने कब्जेशुदा का कब्जा किसी भी रूप में किसी को अन्तरित नहीं करे, राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करावें, अपने या अन्य किसी के नाम से नामान्तरकरण नहीं खुलवाये, इस सम्बन्ध मे विपक्षी नम्बर 5 के यहां कोई कार्यवाही नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करें और ना ही ऐसा अपने परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट आदी के माध्यम से करावे। विपक्षी नम्बर 5 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह मद नम्बर 7 प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात बाबत नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 3 व अन्य किसी के नाम से नहीं खोले तथा राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें और ना ही ऐसा अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी आदी से करावें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया जीवण का जोतड़ावाला में निवास करने, काश्त करने का कथन स्वीकार है लेकिन जीवण के स्वर्गवास के पश्चात् रामरतन का कब्जा काश्त होने का कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण के दादा रामरतन व प्रार्थीगण के पिता रुघनाथ ने स्वेच्छा से दिनांक 16.8.1948 को अपने हिस्से सम्पूर्ण को रुपया 499/– की एवज में अप्रार्थी नम्बर एक ता तीन के पूर्वज मुरली पुत्र हुक्मा व श्योराम पुत्र किसना को बजरिये लिखत हक त्याग से कर दिया । जिस पर रामरतन एवं रुघनाथ के दस्तख्त गवाहान हक त्याग के समक्ष हुए और इसके पश्चात् मुरली व श्योराम सम्पूर्ण आराजी के आधा–आधा हिस्सा पर काविज काश्त रहे जिसमें रामरतन, रुघनाथ का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा ना तत्पश्चात् अर्थात् दिनांक 16.8.1948 के बाद कब्जा रहा। वास्तविकता यह है कि उक्त राशि से स्व. रुघनाथ व एव. श्री रामरतन ने गांव ...ला तहसील सांगानेर में मुख्य टोंक रोड से सटती हुई भूमि क्रय की जिस पर आज भी प्रार्थीगण व उनके परिवारजन काबिज होकर उपभोग कर रहे हैं तथा काफी भूमि में प्लाट व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क भूखण्ड काटकर करोड़ो रुपये की सम्पत्ति बना चुके है। जब राजस्थान काश्तकारी
न लागू हुआ व सेटलमेन्ट का रिकार्ड प्रभावी हुआ तो उस हक त्याग पत्र व कब्जे काश्त
र पर स्व. श्री जीवण की समस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में श्योराम, मुरली के नाम दर्ज हुई,
निरन्तर श्योराम व मुरली तथा उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।
योराम, मुरली व उनके वारिसान व परिवारजन ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।
की कीमतें बढ़ने से वादीगण की नियत में बेईमानी आ गई, इसलिए प्रतिवादीगण से रुपये
की गर्ज से यह झूठा दावा दायर किया है। जागीरदारी प्रथा समाप्त हो जाने के पश्चात्
ती हुक्मा, रामरतन व किसना के नाम दर्ज होना तो स्वीकार है लेकिन सम्वत् 2012 से
रामरतन व उसके वारिस रुघनाथ ने अपने हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण को स्वेच्छा से मुरली व
के पक्ष में अपने हक का त्याग कर दिया और सम्वत् 2012 से पहले से ही और प्रथम
न्ट हुआ और पर्चा बना तो हक त्याग व कब्जा के आधार पर संपूर्ण आराजी पर सेटलमेन्ट
खातेदार मुरली व श्योराम ही काबिज काश्त रहे और हक त्याग पत्र के आधार पर ही एक
2012 से पहले से ही रामरतन का कब्जा समाप्त हो जाने पर समस्त आराजी की खातेदारी
आवी हिस्सा में मुरली व श्योराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई, जो वर्तमान में
नम्बर एक लगायत तीन के नाम आधा–आधा हिस्सा दर्ज है। रामरतन जो कि प्रार्थीगण
दा था, के जीवनकाल से अर्थात् दिनांक 16.08.1948 से ही आराजी पर रामरतन का कब्जा
स्तित्व खातेदारी अधिकार नहीं रहा तो प्रार्थीगण का वर्तमान में अपने दादा व दादा की
जीयात पर कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थीगण के पिता रुघनाथ का ग्राम
वाला में विवादित आराजी पर लेशमात्र भी कब्जा नहीं रहा तो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त
का प्रश्न ही नहीं उठता। विवादित आराजी सम्पूर्ण के मुरली व श्योराम ही आधा–आधा
अनुसार खातेदार रहे तो खातेदारी कागजात मुरली व श्योराम के पास ही रहने थे जिसमें
गण के पिता रुघनाथ का कोई लेना देना ही नहीं था ना ही इससे प्रार्थीगण को कोई वास्ता
त्या राजस्व रिकार्ड की किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वह उसकी नकलें प्राप्त
सकता है। सम्वत् 2012 से पहले से ही विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के दादा रामरतन के
से ही कब्जा काश्त नहीं रहा ना ही खातेदारी अधिकार रहे तो मुरली के निधन के पश्चात्
गण द्वारा तकासमा कराने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का कोई अधिकार ही शेष
रहता है। दिनांक 10.3.2005 को या अन्य किसी भी दिन को वादीगण ने कभी कोई बातचीत
ग्रस्त भूमि वावत प्रतिवादीगण से नहीं की। सम्वत् 2012 से पहले से ही वर्णित आराजीयात
का खातेदारी इन्द्राज मुरली व श्योराम के मध्य आधा–आधा हिस्सा अनुसार रहा जिसको
पश्चात् उनके वारिसान के नाम विरासत के आधार पर वर्तमान में खातेदारी इन्द्राज है।
गण जो कि ग्राम वम्वाला के निवासी हैं, का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई खातेदारी
कार व कब्जा नहीं रहा। वर्णित वादग्रस्त आराजी बाबत श्योराम व मुरली के मध्य करीब 13
तक राजस्व न्यायालयों में मुकदमें लंवित रहे जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच
चले और दिनांक 24.7.2001 को मुरली एवं श्योराम के मध्य विवादों को समाप्त करने के
से ग्राम एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मध्य लिखित में राजीनामा उक्त कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संपादित हुआ, जिस पर प्रार्थी नम्बर 1 भंवरलाल के भी अंगूठा निशानी है, और इस अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लंवित विवाद का निस्तारण हुआ और रिकार्ड में खातेदारी आराजी का विधिवत तकासमा होकर अलग–अलग खसरा नम्बर किये गये। इस वास्तविक तथ्य से ही स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने समस्त तथ्यों से भली भांति होने के पश्चात् भी मात्र अप्रार्थीगण को हैरान, परेशान करने हेतु दुर्भावना से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। रामरतन के जीवनकाल से ही एवं सम्वत् 2012 से पहले ही श्योराम के हक में प्रतिफल लेकर हक त्याग लिखित में कर दिया था जिसके पश्चात से रामरतन का नाम विधिवत हट कर खातेदारी मुरली व श्योराम के मध्य आधा–आधा में दर्ज रिकार्ड हुई और जिस पर तभी से वे काविज काश्त करते रहे हैं तथा मुरली के के पश्चात् उनके वारिस काबिज काश्त है एवं खातेदार है जिससे प्रार्थीगण का कोई होना नहीं है। यह गौरतलब है कि प्रार्थीगण अपने आप को काविज काश्त तो होना जाहिर रहे हैं लेकिन इस बाबत लेस मात्र भी प्रमाण पेश नहीं कर पा रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि ने सम्वत् 2012 से पहले के रिकार्ड के आधार पर ही वास्तविक तथ्यों की जानकारी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण को नाजायज ढंग से हैरान, परेशान करने हेतु काल्पनिक कहानी निर्माण कर झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण जोतड़ावाला ग्राम में कोई जानता तक नहीं है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा, कब्जा रामरतन के जमाने से ही नहीं है तब प्रार्थीगण को अब किसी भी भाँति की कराने, तकासमा कराने, नामान्तकरण खुलवाने, इन्द्राज दुरूस्ती कराने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का रामरतन के जीवनकाल से ही अर्थात् हक त्याग पत्र की निष्पादन दिनांक 16.08.1948 से वर्णित आराजीयात के किसी भी भाग पर हक, हिस्सा, खातेदारी व कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी का स्वेच्छा से उपयोग उपभोग हेतु पूर्ण स्वतंत्र हैं। तथा अप्रार्थी नं. 4 व 5 सरकारी अधिकारी हैं जिनका कानून के मुताबिक करने का क्षेत्राधिकार होता है तथा उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन से रुकवाने का प्रार्थीगण को भी कानूनी आंकडे से अधिकार नहीं है। मात्र दावे का झूठा आधार बनाने के लिए उक्त के मनगढंत तथ्य वर्णित किये हैं। प्रार्थीगण के दादा रामरतन के जीवनकाल से ही रामरतन नाम खातेदारी में नहीं रहा ना ही उसका कब्जा रहा तो प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जा सकता ना ही प्रार्थीगण का कोई कब्जा विवादित आराजीयात में है। ऊपर तथ्य किये हैं उससे स्पष्ट साबित है कि प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि का हक त्याग कर चुके पर वर्ष 1948 से अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार प्रथम मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। हक के पश्चात् से ही विवादित आराजीयात पर लेशमात्र भी कब्जा रामरतन व उसके वारिसान नहीं रहा है, ना ही वादग्रस्त भूमि में कोई हित व हक प्रार्थीगण का है और जब कोई हक, कब्जा है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में क्षतिकारित होने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर तथ्य वर्णित किये हैं उससे स्पष्ट सावित है कि प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन किसी में नहीं है और प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

से जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में कथन किया कि [illegible]
झाला में निवास करने, समस्त वारिसों का [illegible] स्वीकार है [illegible] के [illegible]
रामरतन का कब्जा काश्त होने का कथन अस्वीकार है प्रार्थीगण के [illegible] व
के पिता रघुनाथ ने स्वेच्छा से दिनांक 16.8.1988 को [illegible] मुरली को समस्त
बार सौ निन्यानवें रुपये हैं की एवज में अप्रार्थी नम्बर- एक व तीन के पक्ष मुरली
व श्योराम पुत्र किशना को बजरिये लिखत हक त्याग कर दिया था जिस पर रामरतन
नाम के दरतख्त मवाहान हक त्याग के समक्ष रहे और इसके पश्चात मुरली व श्योराम
आराजी के आधा–आधा हिस्सा पर काबिज काश्त रहे जिसमें रामरतन, रामरतन कतई
सा कब्जा शेष नहीं रहा ना ही वह अपने जीवनकाल में कभी काबिज रहे ना ही उनका
योग–उपयोग किया। सम्वत 2012 से पहले से ही और प्रथम सेटलमेन्ट हुआ और पश्चात
हक त्याग व कब्जा के आधार पर संपूर्ण आराजी पर बहैसियत स्वामी खातेदार मुरली व
ही काबिज काश्त रहे और हक पत्र आधार पर ही एवं सम्वत 2012 से पहले से ही
का कब्जा समाप्त हो जाने पर समस्त आराजी की खातेदारी आधी–आधी हिस्सा में
श्योराम के मध्य दर्ज इन्द्राज हो गई जो कि वर्तमान में अप्रार्थी नम्बर एक लगायत तीन
आधा–आधा हिस्सा में दर्ज है सम्वत 2012 से पहले से ही रामरतन का नाम भू–अभिलेख
यात काश्तकार दर्ज नहीं रहा है जिसकी जानकारी रामरतन को अपने जीवनकाल में
श्चात रघुनाथ को एवं प्रार्थीगण की भी शुरू से ही रही है। प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ
जोतडावाला में विवादित आराजी पर लेशमात्र भी कब्जा नहीं रहा। विवादित आराजी
के मुरली व श्योराम ही आधा–आधा हिस्सा अनुसार खातेदार रहे तो खातेदारी कागजात
श्योराम के पास ही रहने थे जिसमें प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ का कोई लेनादेना ही
प्रार्थीगण जो कि ग्राम जोतडावाला के ही निवासी है, का वादग्रस्तआराजी पर कभी
तेदारी अधिकार व कब्जा नहीं रहा। वर्णित वादग्रस्त आराजी बावत श्योराम व मुरली के
ीब 13 वर्ष तक राजस्व न्यायालयों में मुकदमें लम्बित रहे जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय
बैंच तक चले और दिनांक 24.7.2001 को मन मुदली एवं श्योराम केमध्य विवादों को
करने के उद्देश्य से ग्राम एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मध्य लिखित में राजीनामा
ामा कृषि भूमि निष्पा–दित हुआ जिसपर प्राथी नम्वर– एक भंवरलाल के भी अंगूठा
है और इस राजीनामा अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित विवाद का
ा हुआ और राजस्व रिकार्ड में खातेदारी आराजी का विधिवत तकासना होकर अलग–अलग
म्बर कायम किये गये। प्रकरण किसी भी रूप में प्रार्थीगण के हक में सावित नहीं है ।
के समय से ही विवादित आराजीयात पर लेशमात्र भी कब्जा राम्ररतन व उसके पश्चात
एवं इसके बाद प्रार्थीगण का है ना ही इनका कोई खातेदारी अधिकार है। प्राथीगण के
ुविधा का सन्तुलन किसी भी रूप में नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वावत अस्थायी
मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।
बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सुनी गई। प्रार्थी
ा ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दावा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह मद ७ प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात व उसके किसी भी भाग को अपना बताकर किसी को बेचान, बख्शीश नहीं करें, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज किसी के भी हक में तहरीर व ...ल, नही करें, पंजीकत नहीं करावें, उक्त आराजीयात व उसका कोई भी भाग अपने कब्जेशुदा कब्जा किसी भी रूप में किसी को अन्तरित नहीं करे, राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की ...ी नहीं करावें, अपने नाम या अन्य किसी के नाम से नामान्तरकरण नहीं खुलवाये, इस ... मे विपक्षी नम्बर ५ के यहां कोई कार्यवाही नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग ...ा में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें और ना ही ऐसा अपने परिवारजन, एजेन्ट आदी के माध्यम से करवाये। विपक्षी नम्बर ५ को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें ... मद नम्बर ७ प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वावत नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर ३ व किसी के नाम से नहीं खोले तथा राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें ना ही ऐसा अपने अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी आदी से करावें

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का संलग्न दस्तावेजों का ...पान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण ...ए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला:–

वादग्रस्त भूमि हाल आराजी प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड दर्ज नही है प्रार्थीगण के दादा ...तन व प्रार्थीगण के पिता रुघनाथ ने स्वेच्छा से दिनांक 16.8.1948 को अपने हिस्से सम्पूर्ण रुपया 499/– की एवज में अप्रार्थी नम्बर एक ता तीन के पूर्वज मुरली पुत्र हुक्मा व श्योराम किसना को बजरिये लिखत हक त्याग से कर दिया था। जिस पर रामरतन एवं रुघनाथ के ...ख गवाहान हक त्याग के समक्ष हुए और इसके पश्चात् मुरली व श्योराम सम्पूर्ण आराजी ...ाधा–आधा हिस्सा पर काबिज काश्त रहे जिसमें रामरतन, रुघनाथ का कोई हक व हिस्सा रहा ना तत्पश्चात् अर्थात् दिनांक 16.8.1948 के बाद कब्जा रहा। हाल आराजी के अप्रार्थी ...ा 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त ...दारी की भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ... दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय होता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:–

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। ...र्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 खातेदारी दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नही होता और नही ही अपूरणीय क्षति का। प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन ... के पक्ष में साबित होना नही पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत्

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के पक्ष में साबित नही होने से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। दर्ज नम्बर से कम हो बाद तहमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर